

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

RTPS APPLICATION NO. 0251

(देखे अभिलेख 941 का नियम 26)

14.02.13

तारीख 14/02/13

से 25.05.13 तक

जिला - पटना

अनुमंडल- पटना सिटी

केश का प्रकार:-दाखिल खारीज

दाखिल खारीज बाद सं०

28 / 2013-2014

हल्का सं० 03

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

02/13

श्री/श्री मती डानियल सिंह
 पिता/पति श्री/श्री मती स्व० देवचरण सिंह
 ग्राम अडुजावा पो० अंतिया थाना जौरीचर
 जिला पटना ने केवाला सं० 7227 दिनांक 26/12/12 के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है:-

मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकवा(ए.-डि में)	लगान
<u>विषयचर</u>	<u>म</u>	<u>96</u>	<u>134</u>	<u>0-14</u>	<u>1.50</u>

मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक 21/02/13 को उपास्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी
फतुहां।

अंचलधिकारी
फतुहां।

02/13

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्म० का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है।

103/13

हल्का कर्म० ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी विकेता / पावस्कर्ता / पूर्व विकेता/ दानकर्ता नारायण सिंह पिता स्व० बाबु गणेश सिंह

के नाम से कायम है। प्रश्नगत जमीन गै०म०मा/आम,मू-दान,मू-हदवंदी एवं सैरात से मुक्त है। है। आवेदक/आवेदिका का दखल कब्जा है। तदनुसार जमाबंदी रैयत को खास सूचना एवं महाल पर आम सूचना निर्गत कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 16/4/13 को उपास्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी
फतुहां।

अंचलधिकारी
फतुहां।

महेश 6/13

P.T.O.

अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदी रैयत को निर्गत खास सूचना का तामिला प्राप्त/अप्राप्त है एवं महाल पर निर्गत आम सूचना का तामिला प्राप्त/अप्राप्त है। आज तक किसी का आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन, अंचल निरीक्षक के अनुमति एवं प्राप्त अनापत्ति के आधार पर राजस्व वसूली के हित में दाखिल खारिज की दी जाती है तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

स्वीकृत

लेखापित एवं संशोधित।

अंचलाधिकारी
फतुहा।

↓
अंचलधिकारी
फतुहा।